मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2014

क्रमांक एफ 3–14/2014/सात/शा–5 :: राज्य शासन एतद्द्वारा पचमढ़ी, जिला होशंगाबाद स्थित कलेक्टर कैम्प ऑफिस ''मधुबन'', जो कि राजस्व विभाग की परिसम्पत्ति है, की व्यवस्था निम्नानुसार शर्तों पर की जायेगी :–

(1) पूर्व की भांति कलेक्टर, होशंगाबाद कैम्प ऑफिस के रूप में उक्त भवन का उपयोग किया जायेगा।

(2) प्रदेश के राजस्व अधिकारियों यथा प्रमुख सचिव (राजस्व), प्रमुख राजस्व आयुक्त, आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, सभी संभागीय आयुक्त और जिलाध्यक्षों द्वारा उनके पचमढ़ी भ्रमण के दौरान उक्त भवन का उपयोग किया जायेगा।

(3) अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी उनके पचमढ़ी भ्रमण के दौरान उक्त भवन का उपयोग किया जा सकेगा।

(4) भवन का नियंत्रण कलेक्टर, होशंगाबाद के अधीन होगा, जिनके द्वारा उक्त भवन में ठहरने हेतु आरक्षण किया जायेगा।

(5) भवन के रखरखाव एवं मरम्मत आदि के लिये राजस्व विभाग द्वारा नियमित बजट उपलब्ध कराया जायेगा एवं मरम्मत कार्य कलेक्टर, होशंगाबाद के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा।

(6) भवन की देखभाल हेतु आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा राजस्व विभाग के अमले से की जायेगी।

(7) शासकीय कार्य हेतु उक्त भवन का उपयोग होने पर कोई राशि नहीं ली जायेगी किन्तु गैर शासकीय कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा रेस्ट हाऊस में ली जाने वाली राशि के समतुल्य राशि ली जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28.5.2014

(आर.के. चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ. क्र. 3–14/2014/सात/शा–5
प्रतिलिपि रू

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2014

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त कलेक्टर/समस्त अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

28/5/2014

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग